पत्र संख्या-विधि-4(1)-परिपत्र भाग-3(2012-13)- **289** / 1213014 /वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ ::दिनांक::मई 22 ,2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।

विषय :-वर्ष 2009-2010 व आगे के वर्षों के डीम्ड कर निर्धारण के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-27 के अनुसार जिन व्यापारियों ने वर्ष 2009-2010 के लिए धारा-24(7) के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में, निर्धारित रीति से तथा निर्धारित प्रारुप में टर्नओवर तथा टैक्स का वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत कर दिया है तथा जिन्हें -

(1)- धारा-28(1)(a) के प्राविधानों के अनुसार टैक्स आडिट के लिए विनिर्दिष्ट या चयनित नहीं किया गया है या जो धारा-28(1)(b) में वर्णित श्रेणियों में नहीं आते हैं ; या

(2)- वार्षिक रिटर्न में पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में व्यापारी को कर निर्धारण अधिकारी से दिनांक 31-3-2012 तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुई है; या

(3)- वार्षिक रिटर्न में पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी से नोटिस प्राप्त हुई थी और व्यापारी ने नोटिस का उत्तर कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त करा दिया था किन्तु तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी को दिनांक 31-3-2012 तक उक्त उत्तर को अस्वीकार करने की कोई संसूचना नहीं दी गयी थी ।

2- ऐसे सभी मामलों में यह माना जायेगा कि सम्बन्धित व्यापारी का डीम्ड कर निर्धारण दिनांक 31-3-2012 को व्यापारी द्वारा वार्षिक रिटर्न में दाखिल किये गये आंकड़ों के आधार पर हो गया है ।

3- डीम्ड कर निर्धारण की कार्यवाही को और भी प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से निम्न निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :-

(1) सभी कर निर्धारण अधिकारी जिन व्यापारियों द्वारा वर्ष 2009-2010 से सम्बन्धित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत की गयी है उनकी प्रविष्टि आर-5(अ) में करायेंगें ।

(2) उक्त में से जिन व्यापारियों के सम्बन्ध में सुसंगत कारणों से धारा-28 में कर निर्धारण की कार्यवाही की जानी है उन मामलों में उक्त प्रविष्टि के आगे विशेष विवरण के कालम-8 में संक्षेप में यह इंगित करायेंगें कि किस कारण से संगत वाद को डीम्ड कर निर्धारण की कार्यवाही से पृथक किया गया है । साथ ही इस प्रविष्टि के क्रमांक को गोलांकित कराते हुए, इस प्रकरण में प्रथम बार नोटिस दिये जाने के दिनांक का भी अंकन करायेंगें ।

(3) कर निर्धारण अधिकारी, जिन वादों को डीम्ड कर निर्धारण की कार्यवाही से पृथक किया गया है, उनके सम्बन्ध में संक्षिप्त उल्लेख करते हुए, उसकी एक सूची ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर के कार्यालय को दिनांक 10-6-2012 तक प्रेषित करेंगे ।

(4) ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) इन सूचियों का परीक्षण करते हुए दिनांक 30-6-2012 तक यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बिना समुचित कारणों के किसी वाद को डीम्ड कर निर्धारण की परिधि से बाहर नहीं किया गया है।

(5) डीम्ड कर निर्धारण की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा (अपरिहार्य परिस्थितियों में पत्रवाहक द्वारा) सम्बन्धित व्यापारी को उसके दर्शाए पते पर दी जायेगी। यह सुनिश्चित करना प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी का दायित्व होगा कि सूचना सही पते पर ही प्रेषित की जाय। यह कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 10-6-2012 तक पूर्ण कर ली जाय।

4- उक्त निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही की सघन मानिटरिंग का दायित्व सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) का होगा।

5- जोन स्तर पर उक्त निर्देशों का अनुपालन जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा सम्पादित कराया जाय।

6- डीम्ड कर निर्धारण के सम्बन्ध में वर्ष 2009-10 से आगे के वर्षों के लिए भी प्रक्रिया उपरोक्तानुसार अपनायी जायेगी। आगे के वर्षों के लिए इस परिपत्र में अंकित दिनांक 31-3-2012 के स्थान पर सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के वादों के डीम्ड कर निर्धारण की निर्धारित तिथि अंकित समझी जाय। प्रस्तर 3(3) व 3(5) में अंकित दिनांक 10-6-2012 के स्थान पर सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के वादों के डीम्ड कर निर्धारण की निर्धारित तिथि के अनुवर्ती वर्ष की दिनांक 30 अप्रैल एवं प्रस्तर 3(4) में अंकित दिनांक 30-6-2012 के स्थान पर सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के वादों के डीम्ड कर निर्धारण की निर्धारित तिथि के अनुवर्ती वर्ष की दिनांक 31 मई समझी जाय।

यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है कि किसी व्यापारी का वाद बिना समुचित कारण के ही डीम्ड कर निर्धारण की परिधि के बाहर कर दिया गया है तो सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के साथ-साथ इसके लिए सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) एवं जोनल एडीशनल कमिश्नर को भी उत्तरदायी माना जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0
(5) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(6) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
(7) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश।

(9) समस्त डिप्टी कमिश्नर / अस्सिटेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0 / स0द0) वाणिज्य कर,, उत्तर प्रदेश ।

(10) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।

(11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।

(12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।

(13) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।

(14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।

(15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

(16) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन,सेक्टर 10नोयडा ।

(17) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।

(18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।

(19) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 5- 5 तथा 10प्रतियॉ में ।

(20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ ।

(21) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।

(22) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ ।

(23) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।

(24) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।

(25) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुॅज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।

(26) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलस्फा लखनऊ।

(27) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।

(28) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।

(29) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।

(30) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।

(31) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।

(32) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।

(33) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।

(34) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।

(35) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर।

(36) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।

(37) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।

(38) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।

(39) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।

(40) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।

(41) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुॅजगली,चौक,वाराणसी ।

(42) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तार प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।

(43) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।

(44) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।

(45) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।

(46) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।

(47) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।

(48) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।

(49) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ

(50) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।

(51) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।

(52) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।

(53) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।

(54) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।

(55) श्री हुलास राय सिँघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ ।

(56) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पँजी0-बी-29,विधायक निवास, दारुल शफा,लखनऊ ।

(57) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ ।

(58) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।

(59) श्री दिनेश चन्द्र मिाल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।

(60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।

(61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।

(62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।

(63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।

(64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।

(66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।

(67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।

(68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।

(69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।

(71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्व नगर (यू0पी0

(बी0एन0 द्विवेदी)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

पत्र संख्या- आई0टी0-NICकम्प्यूटराइजेशन साफ्टवेयर/(2012-13)/ **1213020** /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक :: **जून 07 2012** ।

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

विषय:- डीम्ड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में ।

डीम्ड कर निर्धारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-4(1)परिपत्र भाग-3(2012-13)-289/1213014/वाणिज्य कर दिनॉक 22.05.2012 द्वारा पूर्व में निर्देश जारी किये गये हैं । इस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित किये गये वादों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु Central VYAS Server पर की जाने वाली कार्यवाही निम्नवत होगी :-

1- प्रत्येक वर्ष जिन व्यापारियों द्वारा अपनी खरीद बिक्री के वार्षिक रिटर्न (फार्म-26) कार्यालय में दाखिल किये गये हैं उनकी सूची सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के login पर उपलब्ध होगी । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस सूची में ऐसे व्यापारियों, जिन्हें अधिनियम की धारा 28(1) में उल्लिखित विभिन्न कारणों से डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर कर दिया है, को चिन्हॉकित (tick) कर दिया जायेगा ।

2- जिन व्यापारियों को डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर कर दिये जाने के कारण उन्हें उपरोक्तानुसार सर्वर पर उपलब्ध सूची में tick कर दिया गया है, उनके मामलों में तदुपरान्त उन कारणों से सम्बन्धित Boxes को भी Tick किया जायेगा जिनके कारण वह डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर कर दिये गये हैं । उक्त कारणों को Tick किये जाने से सम्बन्धित Boxes निम्नवत है :-

01	Form-26 has not been submitted in time
02	Shortcoming of Form-26 not removed
03	One or more monthly/quarterly returns not submitted
04	Provisional assessment done in respect of one or more months/quarters on the basis of best judgment .
05	The turnover & Tax declared in form-26 is not worthy of credence
06	The Dealer has prevented/obstructed in survey/inspection of business premises
07	Dealer selected for a Tax Audit

यदि किसी व्यापारी को उपरोक्त कारणों में से एक से अधिक कारणों से डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किया गया है तो ऐसे मामलों में ऐसे समस्त बाक्स tick किए जायेंगें ।

3- डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किये गये व्यापारियों का उपरोक्तानुसार चिन्हॉकन एक बार में (In one session) अथवा अनेक बार (In several sessions) में किया जा सकता है परन्तु प्रत्येक बार सम्बन्धित पेज को Save करना आवश्यक होगा ।

4- यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया जाता है कि वार्षिक रिटर्न (फार्म-26) दाखिल करने वाले किसी व्यापारी का नाम सर्वर पर प्रदर्शित सूची में नहीं आ रहा है (रसीद others या कियी अन्य मद में कटी होने के

कारण) तो कर निर्धारण अधिकारी स्वयं सम्बन्धित रसीद को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से सम्बन्धित रसीदों की सूची में Transfer करने हेतु सक्षम होंगे ।

5- कर निर्धारण वर्ष 2009-2010 के मामलों में उक्त कार्यवाही दिनॉक 30.06.2010 तक पूरी कर ली जायेगी । आगे के वर्षों के लिये यह कार्यवाही डीम्ड कर निर्धारण की अन्तिम तिथि तक नियमित रुप से की जाती रहेगी परन्तु डीम्ड कर निर्धारण की अन्तिम तिथि के पश्चात व्यापारियों को चिन्हॉकित करने की कार्यवाही नही की जा सकेगी । उदाहरणार्थ- वर्ष 2010-11 के मामले में चिन्हॉकन की कार्यवाही 31.03.2013 तक ही की जा सकेगी । अत: यह भली-भॅति सुनिश्चित कर लिया जाये कि कोई भी व्यापारी जिसे डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, संगत वर्ष के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि तक सूची में चिन्हॉकित होने से न रह जाये ।

6- चिन्हॉकन के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों के पश्चात डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निास्तारित तथा इस श्रेणी से बाहर किये गये वादों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित हो जायेगी । यह सूची Open Login पर रहेगी जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकेगा ।

7- वेबसाइट पर उन व्यापारियों की भी सूची प्रकाशित होगी जिनके द्वारा सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किये गये है एवं परिणाम स्वरुप डीम्ड कर निर्धरण की श्रेणी से स्वत: बाहर हो गये हैं ।

8- वेबसाइट पर डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित किये गये वादों की सूची में प्रकाशित होने के साथ-साथ व्यापारी को इसकी सूचना स्वत: SMS व ई-मेल के माध्यम से सर्वर से जनरेट होकर चली जायेगाी यदि व्यापारी का मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता विभागीय डेटाबेस में उपलब्ध है ।

कृपया उक्त आदेशों से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा इसका कड़ाई से अनुपालन करायें ।

(हिमॉशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

<u>पृ0प0सं0 व दिनांक :: उक्त ।</u>

<u>प्रतिलिपि :-</u>

1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजर कर, उ0प्र0 शासन लखनऊ ।
2- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ ।

(एम0 के0 सिंह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।

पत्र संख्या- आई0टी0-NICकम्प्यूटराइजेशन साफ्टवेयर/(2012-13)/ 295 / 1213027 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक :: जुलाई 03, 2012 ।

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

विषय:- डीम्ड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में ।

डीम्ड कर निर्धारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-4(1)परिपत्र भाग-3(2012-13)-289/1213014/वाणिज्य कर दिनॉक 22.05.2012 ,एवं परिपत्र संख्या -आई0टी0-NIC कम्प्यूटराईजेशन साफ्टवेयर (2012-13/233/1213020 दिनॉक 07-06-2012 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे ।यह ज्ञात हुआ है कि इन परिपत्रों द्वारा विस्तृत निर्देश दिये जाने के वाबजूद अभी भी फील्ड के अधिकारियों को कुछ बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट नही है साथ ही The turnover & Tax declared in form-26 is not worthy of credence के आधार पर डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किये गये मामलों में यह स्पष्ट नही हो पाता है कि किस आधार पर व्यापारी द्वारा घोषित टैक्स व टर्न ओवर को अविश्वसनीय पाया गया है। अत: डीम्ड कर निर्धारण व्यवस्था के सम्बन्ध में अग्रेत्तर स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा व्यापारी द्वारा घोषित टैक्स व टर्न ओवर अविश्वसनीय पाये जाने के मामलो में अग्रेत्तर व्यवस्था बनातें हुए निम्न निर्देश दिये जाते है :-

1- अधिनियम की धारा 28(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी वाद को डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किये जाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख कर निर्धारण पत्रावली के आदेश फलक पर किया जायेगा । बाद में इसी आधार पर Central VYAS साफ्टवेयर के डीम्ड कर निर्धारण माडयूल में निर्धारित Boxes को Tick करने की कार्यवाही की जायेगी ।

2- वार्षिक रिटर्न (फार्म-26) में कमियॉ पाये जाने पर इसे दूर कराये जाने के लिए व्यापारी को जो नोटिस भेजी जायेगी उसमें कमियों का स्पष्ट उल्लेख संक्षेप में किया जाना आवश्यक होगा तथा यह कमियॉ पूर्ण न कराये जाने पर ही व्यापारी का वाद डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किया जायेगा ।

3- The turnover & Tax declared in form-26 is not worthy of credence के आधार पर डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किये गये मामलों में डीम्ड कर निर्धारण माडयूल में उन कारणों को भी अकिंत किया जायेगा जिनके आधार पर व्यापारी द्वारा घोषित टैक्स व टर्न ओवर अविश्वसनीय पाया गया है। इसके लिए माडयूल में निम्न अतिरिक्त Boxes बनाये गये है जो क्रमॉक 05 के बाक्स को Tick करने पर खुलेगें -

1- Adverse material found in survey of the business premises
2- Adverse material found in the seized books of account
3- Seizure of goods being transported in contravention of the Act and Rules
4- Informations received in respect of sales/ purchase of the dealer not verified
5- Mis-classification of good regarding rate of tax
6- Claim of ITC not verified

7- Any other reason (mention in brief)

उक्त में से क्रमॉक 07 का बाक्स Tick करने पर इसके सामने खुलने वाले Text Box में कारणों के संक्षेप में अंकित किया जायेगा।

4- डीम्ड कर निर्धारण माडयूल में उक्त परिवर्तन बाद में किये गये है, अत:यदि किसी मामले में पूर्व में Box संख्या 05- The turnover & Tax declared in form-26 is not worthy of credence को डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किये जाने के कारण के रुप में Tick किया गया है, तों ऐसे मामले में पुन: उक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित Boxes को Tick करना / कारण अंकित करना अनिवार्य होगा।

5- माड्यूल में किए गये उक्त परिवर्तनों को देखते हुए VYAS central साफ्टवेयर में की जाने वाली उपरोक्त समस्त कार्यवाही को पूरा करने के लिए पूर्व में निर्धारित तिथि दिनांक 30-06-2012 को अब बढ़ाकर दिनांक 20-07-2012 किया जाता है। इस तिथि के पूर्व उक्त समस्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाय।

कृपया उक्त आदेशों से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा इसका कड़ाई से अनुपालन करायें।

(हिमॉशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृ0प0सं0 व दिनांक :: उक्त।</u>

<u>प्रतिलिपि :-</u>

1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजर कर, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
3- एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।

(एम0 के0 सिंह)
एडीशनल कमिश्नरग्रेड-2(आई0टी0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

पत्र संख्या- आई0टी0-NICकम्प्यूटराइजेशन साफ्टवेयर/(2012-13)/ 296 / 1213028 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक ::जुलाई 03, 2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

विषय:- डीम्ड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में ।

डीम्ड कर निर्धारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यालय के परिपत्र संख्या-आई0टी0-NIC कम्प्यूटराइजेश साफ्टवेयर/(2012-13)/233/1213020/वाणिज्य कर दिनाँक 07.06.2012 द्वारा जारी किये गये निर्देशों में कहा गया था कि डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित किये गये वादों की सूची वेबसाइट में प्रकाशित होने के साथ-साथ इसकी सूचना एस0एम0एस0 व ई-मेल में माड्यूल से सर्वर से जनरेट होकर चली जायेगी ।

इस सम्बन्ध में एन0आई0सी0 के सर्वर में उपलब्ध डाटाबेस से ज्ञात करने पर यह पाया गया कि वर्तमान में बहुत से व्यापारियों के मोबाइल नम्बर व ई-मेल पते डाटाबेस में उपलब्ध नहीं हैं । वस्तुत: डाटाबेस में उन्हीं व्यापारियों के मोबाइल नम्बर व ई-मेल पते उपलब्ध हैं जो विभाग की किसी न किसी आन लाइन सेवा (ई-रिटर्न, नेट पेमेन्ट अथवा फार्म डाउनलोड) का उपयोग कर रहे है अथवा दिनॉक 01.01.2008 के पश्चात पंजीकृत हुए हैं । अत: शेष व्यापारियों के मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता प्राप्त करने के लिये एन0आई0सी0 द्वारा दो वेब आधारित एवं मोबाइल फोन आधारित सेवाएँ बनायी गयी हैं जिनके माध्यम से व्यापारी स्वयं अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता विभागीय सर्वर पर पंजीकृत करा सकते हैं । इन सेवाओं का विवरण निम्नवत है:-

1-**<u>वेब आधारित सेवा-</u>**इस सुविधा के माध्यम से व्यापारी विभागीय वेबसाइट पर जाकर तथा Update Contact Information to Receive Important Messages के लिंक को क्लिक करके अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता दर्ज करा सकते है । इस सुविधा के माध्यम से अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता दर्ज कराने में यह व्यवस्था भी रखी गयी कि व्यापारी यदि चाहे तो सर्वर में पहले से उपलब्ध किसी मोबाइल नम्बर व ई-मेल पते, जिसका विवरण व्यापारी को अपना टिन नम्बर डालने पर प्रदर्शित होगा, को ही अन्य विभागीय सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करा सकता है ।

नया मोबाइल नम्बर पंजीकृत कराने पर व्यापारी के मोबाइल फोन पर सर्वर से भेजा गया एक पिन नम्बर प्राप्त होगा जिसे पुन: पूर्वोक्त लिंक पर जाकर निर्धरित फील्ड में भरना होगा । यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर उसका मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता सर्वर में दर्ज हो जायेगा ।

<u>2-मोबाइल फोन आधारित सेवा</u> -इस सुविधा के अन्तर्गत व्यापारी उस मोबाइल फोन, जिसका नम्बर वह विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण विभागीय सूचनाऐं प्राप्त करने के लिए सर्वर में पंजीकृत कराना चाहता है, से फोन नम्बर **9212357123** पर एक SMS भेजकर अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता विभागीय सर्वर पर पंजीकृत करा सकता है । इसके लिए व्यापारी को निम्न SMS उक्त नम्बर पर भेजना होगा :-

cte mob <Tin No> < फर्म के सगंठन का कोड> < e-mail पता >

फर्म के संगठन अर्थात एकल स्वामित्व की फर्म साझीदारी फर्म आदि का कोड वही होगा जो व्यापारी द्वारा पंजीयन प्रार्थना पत्र (फार्म-VII) में अकिंत किया गया है । सुलभ सदर्भ हेतु इन कोड का विवरण नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

Constitution Code	Constitution
0	Proprietorship
1	Partnership
2	HUF
3	Government Co.
4	Public Ltd.Co.
5	Private Ltd.Co.
6	Government Corporation
7	Association
8	Club/Trust/Society
9	Central Government Department
10	State Government Department
11	Central Government Undertaking
12	State Government Undertaking
13	Local Body
14	Association of Persons
15	Others /Guardian of Minor/ Power of Attorney

3- सर्वर को भेजे जा रहे SMS में ई-मेल पता वैकल्पिक है तथा यदि व्यापारी का अपना कोई ई-मेल पता नही है, तो व्यापारी केवल टिन नम्बर व फर्म के संगठन का कोड SMS करके अपना मोबाइल नम्बर पंजीकृत करा सकता है।

4- उपरोक्त दोनो प्रकार की सुविधा में कोई मोबाइल नम्बर अधिकतम 05 टिन नम्बरो के लिए ही दर्ज कराया जा सकता है।

कृपया इस व्यवस्था से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें। साथ ही व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं के बीच भी इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार प्रसार करने का कष्ट करें ताकि अधिकाधिक व्यापारी अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता विभागीय सर्वर पर पंजीकृत करा सकें।

(हिमॉशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजर कर, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
3- एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।

(एम0 के0 सिंह)
एडी0कमि0 गेड-2 (आई0टी0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

पत्र संख्या- आई0टी0-NICकम्प्यूटराइजेशन साफ्टवेयर/(2012-13)/ 297 / 1213029 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक ::जुलाई 03, 2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

विषय:- डीम्ड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में ।

डीम्ड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2009-10 व आगे के वर्षों में कार्यवाही हेतु मुख्यालय से पूर्व में निम्न परिपत्र जारी हुए हैं -

(i) परिपत्र संख्या- 289/1212014 दिनांक 22-05-2012
(ii) परिपत्र संख्या- 233/1213020 दिनांक 07-06-2012
(iii) परिपत्र संख्या- 295/1213027 दिनांक 03-07-2012
(iv) परिपत्र संख्या- 296/1213028 दिनांक 03-07-2012

2- इन परिपत्रों में डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित एवं इस श्रेणी से बाहर किये गये वादों का विवरण विभिन्न रजिस्टरों में अंकित करने तथा इसकी प्रविष्टि Central VYAS साफ्टवेयर में करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी । साथ ही परिपत्र संख्या- 295/1213027 दिनांक 03-07-2012 द्वारा डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किये गये वादों का विवरण Central VYAS साफ्टवेयर में अंकित करने के लिए दिनांक 30-06-2012 की पूर्व निर्धारित तिथि को बढ़ाकर दिनांक 20-07-2012 कर दिया गया है ।

3- उक्त सन्दर्भ में दिनांक 30-06-2012 तक इस सम्बन्ध में किये गये कार्य की समीक्षा करने पर पाया गया कि इस तिथि तक केवल 24 जनपदों / सर्किलों में ही Central VYAS साफ्टवेयर पर चिन्हांकन का कार्य किया गया है यद्यपि चिन्हांकित मामलों की कुल संख्या को देखते हुए यह भी स्पष्ट है कि इन जनपदों / सर्किलों में भी समस्त अधिकारियों द्वारा चिन्हांकन का कार्य पूरा नहीं किया गया है । यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है तथा अधिकारियों की अकर्मण्यता के साथ-साथ उनकी सत्यनिष्ठा पर भी प्रश्नचिन्ह लगाती है । अत: ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ।

4- इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित किये गये वादों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कार्य अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है । अत: उपरोक्त स्थिति को देखते हुए एतद्द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक जोनल एडीशनल कमिश्नर व प्रत्येक ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) एक सप्ताह के अन्दर अपने जोन / सम्भाग के समस्त कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा इस दिशा में किये गये कार्य की समीक्षा करेंगें एवं यदि पाया जाता है कि पत्रावलियों पर कार्यवाही पूरी न होने के कारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित एवं इस श्रेणी से बाहर किये गये वादों का चिन्हांकन Central VYAS साफ्टवेयर पर नहीं किया गया है तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सम्यक कार्यवाही की संस्तुति जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा दिनांक 15-07-2012 तक मुख्यालय प्रेषित की जायेगी । उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा समस्त

कर निर्धारण अधिकारियों से Central VYAS साफ्टवेयर पर चिन्हांकन की कार्यवाही पूरी कर लिए जाने का प्रमाण पत्र भी दिनांक 21-07-2012 तक प्राप्त करके इसकी सूचना ई-मेल / फैक्स से दिनांक 22-07-2012 को मुख्यालय उपलब्ध करायी जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(हिमाँशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजर कर, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
3- एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।

(एम0 के0 सिंह)
एडीशनल कमिश्नरग्रेड-2(आई0टी0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

पत्र संख्या- आई0टी0-NICकम्प्यूटराइजेशन साफ्टवेयर(डीम्ड क0नि0)/(2012-13)/ 327/**1213033** /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

लखनऊ::दिनॉक::**जुलाई 12 2012**

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

विषय:- डीम्ड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में ।

डीम्ड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2009-2010 व आगे के वर्षो में कार्यवाही हेतु मुख्यालय से परिपत्र संख्या-289/1212014 दिनांक 22-05-2012, 233/1213020 दिनांक 07-06-2012, 295/1213027 दिनांक 03-07-2012,296/1213028 दिनांक 03-07-2012 व परिपत्र संख्या- 297/1213029 दिनांक 03-07-2012 जारी किये गये हैं ।

उक्त परिपत्रों में से परिपत्र संख्या- 233/1213020 दिनांक 07-06-2012 तथा 295/1213027 दिनांक 03-07-2012 डीम्ड कर निर्धारण की श्रेंणी से बाहर किये गये वादों की प्रविष्टि central VYAS server पर किये जाने की प्रक्रिया सूचित की गयी है । यह ज्ञात हुआ है कि पूर्व वर्षों में कुछ वार्षिक रिटर्नों की रसीदें अन्य श्रेणी की रसीदों में जारी हो गयी हैं जिसके कारण वार्षिक रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों की सूची में ऐसे व्यापारियों का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है । अत: यदि किसी मामले में ऐसा पाया जाता है कि वार्षिक रिटर्न की रसीद किसी अन्य श्रेणी में कटी होने के कारण व्यापारी का नाम वार्षिक रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों की सूची में प्रदर्शित नही हो रहा है तो सम्बन्धित अधिकारी central VYAS server पर अपने sector login पर जाकर Receipt Entry for Deemed Assessment को क्लिक करेंगें एवं इससे सम्बन्धित रसीद का क्रमांक डालकर कर निर्धारण वर्ष एवं रिटर्न का सही प्रकार (फार्म-26, 26ए आदि) अंकित करते हुए Submit बटन को क्लिक करेंगे जिसके पश्चात सम्बन्धित रसीद वार्षिक रिटर्नों की सूची में प्रदर्शित होने लगेगी ।

कृपया उक्त प्रक्रिया से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें तथा उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का कष्ट करें कि उक्त कारण से किसी व्यापारी का नाम सूची में न होने से कोई व्यापारी डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर न हो जाय ।

(एम0 के0 सिंह)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (आई0टी0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

पत्र संख्या-आई0टी0-NICकम्प्यूटराइजेशनसाफ्टवेयर(डीम्ड क0नि0)/(2012-13) / 390/**1213041** / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक ::जुलाई 24 2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

विषय:- डीम्ड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की धारा-27 में प्राविधानित डीम्ड कर निर्धारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यालय के पार्श्वांकित परिपत्रों से विभिन्न निर्देश जारी किए गये हैं ।

(i) परिपत्र सं0-289/1212014 दिनांक 22-05-2012
(ii) परिपत्र सं0-233/1213020 दिनांक 07-06-2012
(iii) परिपत्र सं0-295/1213027 दिनांक 03-07-2012
(iv) परिपत्र सं0-296/1213028 दिनांक 03-07-2012
(v) परिपत्र सं0-297/1213029 दिनांक 03-07-2012

इन परिपत्रों में से परिपत्र संख्या- 233/1213020 दिनांक 07-06-2012 एवं परिपत्र संख्या- 295/1213027 दिनांक 03-07-2012 में डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किए गये वादों को डीम्ड कर निर्धारण माड्यूल में चिन्हित करने की व्यवस्था सूचित की गयी थी एवं वर्ष 2009-10 के मामलों में चिन्हांकन की यह कार्यवाही दिनांक 30-06-2012 तक पूरी करने के निर्देश दिए गये थे जिसे बाद में बढ़ाकर दिनांक 20-07-2012 कर दिया गया था ।

2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन प्रथम/द्वितीय कानपुर द्वारा इस सम्बन्ध में अपने जोन की जो प्रगति सूचित की गयी है उसके अनुसार कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2009-10 के मामलों में वार्षिक रिटर्नों के जॉच की कार्यवाही विभिन्न कारणों से दिनांक 31-03-2012 के पूर्व सम्पन्न नहीं की जा सकी थी, अत: वार्षिक रिटर्नों की जॉच करके डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किए जाने वाले मामलों को चिन्हित करने एवं पुन: उन्हे विभागीय सर्वर पर चिन्हांकित करने हेतु उनके द्वारा अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ।

3- उक्त सन्दर्भ में विधिक स्थिति यह है कि धारा-27 के प्राविधानों के अनुसार यदि कोई व्यापारी अपना वार्षिक रिटर्न नियमानुसार दाखिल कर देता है तो वह वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित तिथि के बाद पड़ने वाले अगले कर निर्धारण वर्ष की अन्तिम तिथि को स्वत: कर निर्धारित माना जायेगा । धारा-27 की यह व्यवस्था धारा-28 के प्राविधानो के अधीन है अर्थात यदि कोई व्यापारी धारा-28 के प्राविधानो के अन्तर्गत लेखा पुस्तकों के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त कर निर्धारण हेतु चिन्हित हो जाता है तो उस पर धारा-27 के प्राविधान लागू नही होंगे । तद्नुसार वर्ष 2009-10 के मामलों में यदि कोई वाद दिनांक 31-03-2012 तक धारा-28 के प्राविधानों के अर्न्तगत लेखा पुस्तकों के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त कर निर्धारण हेतु अलग नहीं कर दिया गया है तो वह दिनांक 31-03-2012 को स्वत: कर निर्धारित हो गया है एवं इस तिथि के बाद किसी वाद को वार्षिक रिटर्न की जॉच के फलस्वरुप डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर नहीं किया जा सकता है । इसमें से धारा-28(i)(b)(iv) के अन्तर्गत आने वाले वह मामले महत्वपूर्ण हैं जिनमें कर निर्धारण अधिकारी को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वादों को लेखा पुस्तकों की विस्तृत जॉच के उपरान्त कर निर्धारण हेतु चिन्हित करना वांछित होता है तथा ऐसे मामलों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वविवेकानुसार कार्यवाही दिनांक 31-03-2012 के पश्चात नही की जा सकती है ।

4- उपरोक्त परिस्थितियों में स्पष्ट है कि अब डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किए जाने के लिए अधिकारियों को वार्षिक रिटर्नों की जॉच करने हेतु अतिरिक्त समय देने का न तो कोई औचित्य है और न ही ऐसा किया जाना विधिक रुप से सम्भव है। इन्ही कारणों से परिपत्र संख्या-297/1213029 दिनांक 03-07-2012 में समस्त चिन्हांकन दिनांक 20-07-2012 तक पूरा कर लेने एवं इसका प्रमाण पत्र दिनांक 22-07-2012 तक मुख्यालय भेजने के निर्देश समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर एवं समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को दिये गये थे। इस सम्बन्ध में किसी जोनल एडीशनल कमिश्नर अथवा ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा नियत तिथि तक कोई रिपोर्ट प्रेषित नही की गयी है जिसके लिए अलग से सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है परन्तु पूर्वोक्त स्थिति को देखते हुए निर्धारित समय सीमा अर्थात दिनांक 31-03-2012 के पूर्व जॉच करके चिन्हित किए गये मामलों को डीम्ड कर निर्धारण माड्यूल में चिन्हांकित करने के लिए दिनांक 31-07-2012 तक का अतिरिक्त समय दिया जाता है। साथ ही दिनांक 31-07-2012 तक वार्षिक रिटर्नों की जॉच के अभाव में चिन्हित न हो सके मामलों के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है जो दिनांक 31-08-2012 तक प्रत्येक दशा में पूरी की जायेगी :-

(क) सर्वर पर चिन्हांकित न हो सके मामलों में से कुछ मामले ऐसे होंगे जिनके तथ्यों पर आधारित होने के कारण इनमें कर निर्धारण अधिकारी को अपने किसी विवेक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नही होती है। इस प्रकार के मामले धारा-28(a) व धारा-28(i)(b) के क्लाज (i),(ii। (iii), (v) व (vi) के अन्तर्गत आते हैं। इसके अन्तर्गत क्लाज (iv) से आच्छादित वह मामले भी आते हैं जिनमे व्यापारी द्वारा वार्षिक रिटर्न में घोषित कर जमा नही किया गया है। ऐसे मामले डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से स्वत: बाहर हो जाने के कारण बाद में इनके सर्वर पर चिन्हांकन में कोई विधिक अड़चन नहीं है। अत: यदि ऐसे मामले पूर्व में सर्वर पर चिन्हांकित करने से रह गये हैं तो कर निर्धारण अधिकारी इन्हे सर्वर पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया से चिन्हांकित करते हुए ऐसे मामलों की सूची अपने ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को कारणों सहित उपलब्ध करायेंगे परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वर पर किया गया यह चिन्हांकन अन्तिम नही होगा। ऐसे मामलों में ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा अपनी login पर जाकर इसका authentication करने पर ही यह चिन्हांकन अन्तिम होगा। इसके लिए ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त सूची का अपने स्तर से परीक्षण करेंगे एवं अपनी login पर उपलब्ध ऐसे मामलों की सूची में उपयुक्त पाये गये मामलों को tick करेंगे जिसके उपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया चिन्हांकन अन्तिम हो जायेगा।

(ख) सर्वर पर चिन्हांकित न हो सके दूसरे प्रकार के मामले ऐसे होंगे जो धारा-28(i)(b) (iv) से आच्छादित हैं तथा जिनमें अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्णय लेना है कि व्यापारी द्वारा वार्षिक रिटर्न में घोषित टर्न ओवर व कर के ऑकड़े विश्वसनीय हैं अथवा नहीं अथवा रिटर्न में क्लेम की गयी आई0टी0सी0 अथवा कर की गणना सही है या नहीं। ऐसे मामलों में यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 31-03-2012 के पूर्व कोई निर्णय नही लिया गया है तो इनमें केवल धारा-29 के अन्तर्गत पुनर्करनिर्धारण की कार्यवाही अथवा धारा-56 के अन्तर्गत पुनरीक्षण की कार्यवाही की जा सकती है। अत: समस्त कर निर्धारण अधिकारी दिनांक 31-08-2012 के पूर्व समस्त रिटर्नों की जॉच करके प्रकाश में आये तथ्यों का समुचित उल्लेख करते हुए धारा-29 अथवा धारा-56 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु चिन्हित मामलों की सूची अपने ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को प्रेषित करेंगे। ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) ऐसे सभी मामलों का गहन परीक्षण करेंगे एवं उनके संतुष्ट होने पर ही धारा-29 के अन्तर्गत पुनर्करनिर्धारण की कार्यवाही की जायेगी। धारा-56 के अन्तर्गत पुनरीक्षण हेतु उपयुक्त पाये गये मामलों में ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा कर निर्धारण अधिकारी से समुचित प्रस्ताव प्राप्त कर स्वयं कार्यवाही की जायेगी।

(ग) कुछ अधिकारियों द्वारा डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किए जाने वाले वादों के सर्वर पर चिन्हांकन में त्रुटि हो जाना बताते हुए इसे सही करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था बनाये जाने का अनुरोध किया गया है। इस हेतु कर निर्धारण अधिकारी ऐसे समस्त मामलों की सूची व त्रुटि का विवरण कारणों सहित अपने ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को दिनांक 31-07-2012 के पश्चात उपलब्ध करायेंगे। ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) ऐसे समस्त मामलों की जॉच करेंगे एवं संतुष्ट होने पर अपनी login पर जाकर त्रुटि को दिनांक 31-08-2012 के पूर्व संशोधित कर देंगे।

(घ) ज्वाइंट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) के मामलों में ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा की जाने वाली उक्त समस्त कार्यवाही सम्बन्धित जोन के एडीशनल कमिश्नर द्वारा की जायेंगी।

5- उक्त व्यवस्था केवल 2009-10 के डीम्ड कर निर्धारण से सम्बन्धित मामलों के लिए बनायी जा रही है तथा आगे के वर्षों के लिए लागू नही होगी। वर्ष 2010-11 के मामलों में वार्षिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। अत: कर निर्धारण अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह इन रिटर्नों से जॉच करते हुए डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से हटाये जाने वाले वादों का सर्वर पर चिन्हांकन नियमित रुप से करते रहें। मुख्यालय स्तर से इस कार्य की नियमित समीक्षा की जाती रहेगी तथा यदि यह पाया जायेगा कि किसी अधिकारी द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो उसके विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोंण अपनाते हुए गम्भीर कार्यवाही की जायेगी।

(हिमॉशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजर कर, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
3- एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।

(एम0 के0 सिंह)
एडीशनल कमिश्नरग्रेड-2(आई0टी0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।